

न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू (राँची)

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-107 के तहत

वाद सं०-एम० 77/2022

घनश्याम महतो वगैरह बनाम प्रकाश महतो वगैरह

तिथि	दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई
1	2	3

09-06-2022

प्रस्तुत वाद में धारा-107 द० प्र० सं० के थाना प्रभारी बुण्डू के अप्राथमिकी संख्या-37/22 दिनांक 05/05/2022 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि भूमि खाता संख्या-1197, प्लॉट नं.-157,158 तथा 159, के परती भूमि पर विवाद है।

जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।

अतः मैं अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू (राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द० प्र० सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करता हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 50,000/- (पचास हजार) रू० मात्र का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।

अभिलेख तिथि 18-06-2022 को उपस्थापित करें।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,

बुण्डू।

18-06-2022

अभिलेख उपस्थापित। नोटिस तामिला संप्राप्त। प्रथम पक्ष बकालतनामा के साथ उपस्थित। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। दिनांक 16-07-2022 को रखें।

आदेश की क्रमांक/दिनांक Order No./Date	आदेश एवं दण्डाधिकारी का हस्ताक्षर Order and Signature of Magistrate	आदेश कार्रवाई Action order no.
12-12-2022	प्रथम पक्ष गवाह कलावती देवी के साथ हाजरी। द्वितीय पक्ष क्रम सं०- 03, 04, 05, 07, 08 हाजरी एवं अन्य अधिवक्ता हाजरी। पीठासीन दण्डाधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त। दिनांक 26-12-2022 को रखें।	
26-12-2022	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष क्रम सं०- 01, 03, 04, 07, 08 उपस्थित एवं अन्य अधिवक्ता हाजरी। प्रथम पक्ष दिनांक 09-01-2023 को गवाही रखें।	
09-01-2023	प्रथम पक्ष हाजरी। विद्वान अधिवक्ता गण न्यायिक कार्यों से दूर (हड़ताल पर)। दिनांक 30-01-2023 को रखें।	
30-01-2023	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द०प्र० सं० की धारा-116(06) के अनुसार धारा-107 की अवधि द०: (06) माह की होती है। इस वाद में भी वैधानिक समय सीमा द०: (06) माह की अवधि पूर्ण हो चुका है, अर्थात् वाद कालबाधित हो गया है। प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दोनों पक्षों में शांति वने रहने तथा संबंधित शाना द्वारा भी निर्धारित तिथि तक में कोई प्रतिकूल टिप्पणी अप्राप्त रहने की दशा में वाद की कार्यवाही को समाप्त किया जाता है। इस संबंध में संबंधित को भी सूचित करें।	

द०-
का० प्र० द०
बु०

द०-

का० प्र० द०
बु०